

राजस्थान सरकार

स्वायत्त शासन विभाग राज. जयपुर

जी-3 राजमहल रेजीडेन्सी एरिया; सिविल लाईंस फाटक रोड-स्कीम, जयपुर।

टेलीफौक्स :- 0141-2222403, ई-मेल:- dlbrajasthan@gmail.com वेब साईट:- www.lsg.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक :- एफ 55()Engg./CE/DLB/17/15847-16038 दिनांक :- 23/10/2017
आयुक्त, नगर निगम समस्त।

आयुक्त, नगर परिषद समस्त।
अधिशासी अधिकारी नगर पालिका समस्त।

विषय:- Public Financial Management System (PFMS) के माध्यम से भुगतान करने हेतु।


उपरोक्त विषयान्तर्गत सभी नगर निकायों को Public Financial Management System (PFMS) के माध्यम से भुगतान किये जाने के निर्देश पूर्व में भेजे गये थे।


Public Financial Management System (PFMS) पर आई.डी. एवं पासवर्ड सभी नगर निकायों को उनकी संबंधित ई-मेल आई.डी. पर भिजवा दी गई है तथा सभी नगर निकायों को PFMS पर प्रशिक्षण भी दिया जा चुका है। सभी नगर निकायों को स्वच्छ भारत मिशन अन्तर्गत राशि CT, PT, SWM, IEC, A&OE घटक हेतु PFMS के माध्यम से आवंटन कर दी गई है। 191 नगर निकायों में से 23 नगर निकायों यथा अजमेर, बालोतरा, डीग, वैर, गुलाबपुरा, मांडलगढ़, कापरेन, नैनवां, कपासन, तारानगर, डूंगरपुर, गजसिंहपुर, रायसिंहनगर, सादुलशहर, श्रीविजयनगर, श्रीकरणपुर, चाकसू, जैसलमेर, खेतड़ी, नावां, सादड़ी, सरदारशहर, पोकरण ने PFMS के माध्यम से भुगतान शुरू कर दिया है। इन नगर निकाय को छोड़कर अन्य नगर निकायों द्वारा PFMS के माध्यम से भुगतान करना चालू नहीं किया है।

अतः निर्देश दिये जाते हैं, कि भारत सरकार के निर्देशानुसार स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत विभिन्न घटकों हेतु भुगतान ऑनलाईन PFMS के माध्यम से ही किया जाना सुनिश्चित करवावें।

क्रमांक :- एफ 55()Engg./CE/DLB/16/ 15847-16038
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजि सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग।
2. संयुक्त सचिव एवं मिशन निदेशक (SBM), भारत सरकार आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय निर्माण भवन, नई दिल्ली - 110011
3. निदेशक (स्वच्छता)।
4. निजि सचिव, निदेशक एवं संयुक्त सचिव स्वायत्त शासन विभाग।
5. जिला कलक्टर, समस्त।
6. उपनिदेशक क्षैत्रीय समस्त।
7. मुख्य अभियन्ता, निदेशालय।
8. मुख्य लेखाधिकारी, निदेशालय।
9. सुरक्षित पत्रावली।


(पवन अरोड़ा)
निदेशक एवं संयुक्त सचिव
दिनांक :- 23/10/2017


(हुलास राय पवार)
मुख्य लेखाधिकारी